अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राकेश सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
2. श्रीमती गीता पत्नी श्री राकेश सिंह
3. संजय सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
4. श्रीमती गड्डी देवी पत्नी श्री संजय सिंह

निवासी 117 पर्वतपुरी कच्ची बस्ती, गोलीमार गार्डन के पीछे, आमेर रोड, रामगढ मोड, जयपुर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

नारायण सिंह पुत्र स्व॰ श्री हीरालाल निवासी 117 पर्वतपुरी कच्ची बस्ती, गोलीमार गार्डन के पीछे, आमेर रोड, रामगढ मोड, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक25.02.2021 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 112/2019 ब उनवानी नारायण सिंह बनाम राकेश सिंह व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 26.02.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 112/2019 ब उनवानी नारायण सिंह बनाम राकेश सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 16020/2022 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थीगण की ओर से दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 5 व 9 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 सपठित नियम 21 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। उपरोक्त नोटिस अपीलार्थीगण पर कभी भी तामील नहीं हुये न ही आदेशिका में इस आशय का कोई वर्णन है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का मौका दिये तथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करते हुये तथा अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र पर दिनांक 25.02.2021 को एक तरफा फैसला दिया। अधीनस्थ अधिकरण की आदेशिका में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी पर तामिल पूर्ण हो चुकी है । वास्तविकता यह है कि प्रार्थना पत्र में जारी तलबी नोटिस की तामिल अपीलार्थीगण पर कभी नहीं हुई। अतः आक्षेपित आदेश 25.02.2021 अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 3 तथा नियम 6 व नियम 7 की अवहेलना कर आदेश पारित किया है। बिना सुनवाई का मौका दिए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्लंघन करते हुये आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । अधिनियम की धारा 4(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि वरिष्ट नागरिक जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, अधिनियम के अन्तर्गत राहत पाने के अधिकारी है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी ने तथ्य छुपा कर अधिकरण से आदेश प्राप्त किया है । जबकि वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी की पत्नी सीनियर सिटीजन की पेंशन धारक है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी भी सरकारी सेवा से रिटायर्ड व पेन्शन धारक है। अतः अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है। अतः प्रत्यर्थी किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है। अतः आक्षेपित आदेश अपास्त फरमाया जावे। अधीनस्थ अधिकरण ने नियम 7 का घोर उल्लंघन कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में न तो प्रार्थना पत्र की जांच की न ही प्रार्थी की साक्ष्य ली गई जो नियम 7 अनुसार आवश्यक है। आक्षेपित आदेश नियम 11 तथा अधिनियम की धारा 6(6) की अवहेलना कर पारित किया गया है। पीठासीन अधिकारी का दायित्व था कि प्रकरण को सुलह अधिकारी के समक्ष पेश किया जाता जो नहीं किया गया । अधिनियम की धारा 8 (2) में प्रावधान है कि प्रार्थी का शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाता व दस्तावेज आय बाबत पेश करने हेतु निर्देशित किया जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया जो धारा 8 (2) में प्रावधान का उल्लंघन है। इसी प्रकार धारा 9 का उल्लंघन कर आदेश पारित किया गया है। अधिनियम की धारा 23 के तहत अधीनस्थ अधिकरण को अपीलार्थीण को बेदखली के आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है अतः अधिकरण ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.05.2023 के पैरा संख्या 19 में वर्णित भी किया है कि माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच में उक्त बिन्दू को निर्धारण हेतु रेफरेन्स भी भेजा हुआ है जो अभी लम्बित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में मैरिट्स पर अपीलार्थीगण को सुन कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड फरमाया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुए दलील पेश की कि रेस्पोडेन्ट की आजीविका का साधन उक्त मकान को किराये पर दे कर किराये से प्राप्त राशि है, जिसमें प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन कर रहा था। लेकिन दो वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट के बडे पुत्र राजेश सिंह की बेटी की शादी प्रत्यर्थी के निवास से करने के बहाने प्रत्यर्थी के घर पर परिवार साहित तीनों पुत्र आकर रहने लग गये। चूंकि प्रत्यर्थी के बडे पुत्र की बेटी की शादी होनी थी। इसलिए रेस्पोडेन्ट ने भी उनको रहने से मना नहीं किया और किराये पर दिये हुये कमरे उनके रहने के लिए खाली करवा लिये लेकिन शादी के पश्चात तीनों पुत्र उक्त मकान में ही रहते रहे और उन्होने आमेर में दिलाये गये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मकानों को उनके पुत्रों ने किराये पर दे दिया । प्रत्यर्थी को रहने में कोई आपत्ति नहीं रही लेकिन पिछले 7–8 माह से तीनों पुत्र और उनकी पत्नियां प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार व गाली गलौच करने लग गये। प्रत्यर्थी ने कई बार अपने पुत्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन पुत्रों पर प्रत्यर्थी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। जब प्रत्यर्थी की पत्नी ने अपने पुत्रों की पत्नियों को रोजाना के लडाई झगडों के लिए समझाने की कोशीश की तो प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी को झूंठे मुकदमों में फंसाने व दहेज का केस लगाने की धमकी दी। प्रत्यर्थी के पुत्र व उनकी पत्नियां रोज प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट व गाली गलौच करते है। प्रार्थी के पास आजीविका का साधन किराये का था वह भी अब खत्म हो गया । प्रत्यर्थी को व उसकी पत्नी को खाने पीने व दवाई आदि जरूरतों के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। अपीलार्थीगण जोर जबरदस्ती से प्लाट पर काबिज होना चाहते है तथा प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते है । इसी से परेशान हो कर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 5 व 9 सपठित नियम 21 के तहत परिवाद पेश कर अनुतोष चाहा था जिसे आंशिक स्वीकार कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अधीनस्थ अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा जावे ।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपने स्व अर्जित मकान से अपीलार्थीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाने का परिवाद पेश किया गया था। जिस पर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये जो अपीलार्थी संख्या 3 संजय सिंह व अपीलार्थी संख्या 4 श्रीमी गुड्डी देवी द्वारा प्रात किये गये है । चूंकि अपीलार्थीगण के विरूद्व अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष संस्थित कार्यवाही की उन्हें जानकारी थी। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उन्हें सुनवाई की कोई सूचना नहीं दी गई और एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा तीनों पुत्रों से कमशः 3000–3000–3000 हजार प्रत्येक से बतौर भरण पोषण राशि दिये जाने एवं भरण पोषण की राशि नहीं दिये जाने पर उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2021 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हों।

9. निर्णय आज दिनांक **26.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner